

P.O.
न्यायालय भूमि उप समाहर्ता पलामू हुसैनाबाद, पलामू।

विनोद कुमार अपीलार्थी
बनाम
रामजी प्रसाद ई0 प्रतिवादी

आदेश पत्रक

अनुसूची 14 फारम संख्या 562
देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129
आदेश पत्रक -ता0----- से ----- तक
जिला पलामू

नामांतरण अपील वाद संख्या-02-सन् 2017

आदेश की व. सं. और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
12.5.17	अपीलार्थी की ओर से अंचल अधिकारी हुसैनाबाद द्वारा नामांतरण वाद संख्या 1242/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2006 की विरुद्ध अपील वाद दायर किया गया है तथा अपील आवेदन के साथ अंचल अधिकारी के द्वारा पारित आदेश की सच्ची प्रतिलिपि संलग्न है एवं अपीलार्थी के द्वारा समय सीमा के विलम्ब अवधि को क्षान्त करने हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया गया है अपीलार्थीगण के विद्वान को सुना एवं अपील आवेदन के साथ-साथ अंचल अधिकारी के पारित आदेश का अवलोकन किया। अपीलार्थी के अपील आवेदन के समय सीमा के विलम्ब अवधि को क्षान्त करते हुए सुनवाई हेतु अंगिकृत किया जाता है। प्रतिवादी को सूचना निर्गत करे एवं अभिलेख दिनांक31.5.17..... को रखे। 6/12/17 भूमि सुधार उप समाहर्ता हुसैनाबाद पलामू।	120.12.17 13/1/18 21/2/18 28/3/18 18.08.18 26/9/18

आदेश की क० सं०	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश गई
23.9.20	उममकेल उप-निरीक्षक आपीकाली की ओर से वकायत हजरी / प्रीतपल्ली अनुपनिरीक्षक +0 26.10.20	
26.10.20	2.R.D.C उममकेल उप-निरीक्षक निर्वाची निर्वाह को हाथकाज-वर्गण +0 27.11.20	
27.11.20	2.R.D.C उममकेल उप-निरीक्षक उमम पहा की ओर से वकायत हजरी / सदस द्वारा 18/12/20 द्वारा उममकेल उप-निरीक्षक	
18.12.20	उममकेल उप-निरीक्षक उमम पहा की ओर से वकायत हजरी / उमम पहा को सुनो संव आगवात दायिम हुआ आदेशार्थ / उमम पहा लिखित कडस दायिम करें / आदेशार्थ उममकेल उप-निरीक्षक 18/12/20	

न्यायालय - भूमि सुधार उप समाहर्ता, हुसैनाबाद (पलामू)

Rule XIV Form No- 562

विनोद कुमार — अपीलार्थी

बनाम

यमजी प्रसाद ई० — प्रतिवादी

ORDER SHEET

See Rule 129 Of THE RECORD MANUAL, 1941

नामांतरण अपील वाद संख्या - 02 / 2017

Office Action
take with
Date

Order of
Proceeding

Order With Signature of The Court

1

2

3

18-12-2020

अपीलार्थी के द्वारा अंचल अधिकारी, हुसैनाबाद के नामांतरण वाद संख्या 1242/ 2006-07 में, दिनांक 26-10-2006 को पारित आदेश के विरुद्ध यह अपीलवाद दायर किया गया है। वाद से सम्बंधित भूमि का विवरण:- मौजा - हैदरनगर, थाना नंबर - 303 अंचल - हुसैनाबाद

खाता नंबर	प्लॉट नंबर	रकबा (डिसिमिल में)
26	2071	04

अपील आवेदन एवं प्रतिवादी की तरफ से दाखिल किए गए प्रतिउत्तर का अवलोकन किया। उभय पक्षों की तरफ से दिए गए लिखित बहस एवं दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलार्थी का कथन है कि प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी उनके पिता देवन्दन राम के नाम से संधारित था। जमाबंदी रैयत के मृत्यु के पश्चात उनके वंशजों के नाम से नामांतरण होना चाहिए था जो अभी तक नहीं हुआ है और होल्लिंग का विभाजन भी अभी तक जमाबंदी रैयत के वंशजों के बीच में नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी देवन्दन राम की संपत्ति पर अपीलार्थी और देवन्दन राम के अन्य वंशजों का संयुक्त दखल कब्जा एवं स्वामित्व का अधिकार स्थापित है। देवन्दन राम के वंशज अपीलार्थी, कलावती देवी, किरण देवी एवं अजय कुमार इत्यादि हैं। जमाबंदी रैयत के वंशजों के बीच में भूमि का कोई विभाजन नहीं हुआ है इसलिए देवन्दन राम के संपत्ति पर अभी भी उनके वंशजों का संयुक्त हक दखल कब्जा स्थापित है और बिना विभाजन के अंचल अधिकारी के द्वारा पारित किया गया आदेश भरण-पोषण के योग्य नहीं है।

प्रतिवादी का कहना है कि उन्होंने प्रश्नगत भूमि को निबंधित विक्रय पत्र संख्या 2014 दिनांक 9-10-2004 के द्वारा अजय कुमार पिता देवन्दन राम से खरीदा है और खरीदने के बाद क्रेता उस भूमि के दखल कब्जे में आए हैं और उस भूमि का नामांतरण अंचल अधिकारी हुसैनाबाद से करने के बाद सरकारी रसीद उनके नाम से निर्गत होता चला आ रहा है।

उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि के जमाबंदी रैयत देवन्दन राम थे। अपीलार्थी देवन्दन राम के पुत्र हैं और प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 ने जमाबंदी रैयत देवन्दन राम के अन्य पुत्र प्रतिवादी क्रमांक 3 अजय कुमार से प्रश्नगत भूमि को खरीदा था। अपीलार्थी इस आधार पर नामांतरण आदेश को अस्वीकृत करने का निवेदन कर रहे हैं की प्रश्न गत भूमि का जमाबंदी रैयत के वंशजों बीच में विभाजन नहीं हुआ था। इस प्रकार स्पष्ट है का अपीलार्थी का आपत्ति भूमि के स्वामित्व से संबंधित है।

इसप्रकार यह मामला भूमि के स्वत्व से सम्बंधित है। पक्षकार यदि चाहे तो इसके समाधान हेतु सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

इस आदेश के साथ अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
हुसैनाबाद (पलामू)।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
हुसैनाबाद (पलामू)।